न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2021 **दायर दिनांकः 01/02/2021**

उनवान

1. मदन लाल उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री राम नारायण जाति ब्राह्मण निवासी मेरमाचाह हाल बम्बूलिया कला तह0 अन्ता।
2. दिनेश कुमार पुत्र रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी मेरमाचाह हाल गायत्रीनगर अटरू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी :—विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 06/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के खाते एवं कब्जे की ग्राम मेरमाचाह तह0 अटरू में खाता संख्या 13 की ख0नं0 57 की 1.91 है0 भूमि स्थित है। जिस की जमाबन्दी संलग्न है। उक्त खाते में वादी मदन लाल पुत्र नारायण पिता के नाम रामनारायण के स्थान पर सहवन से खाते में नारायण दर्ज हो गया वादी क्रम 1 के पिता का सही नाम रामनारायण है। जो वादीगण के आधार कार्ड सर्विस रिकार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र में भी रामनारायण दर्ज है। एवं वादी क्रम 2 दिनेश कुमार का बचपन में नाम कालू लाल था विद्यालय में दिनेश कुमार नाम लिखवा दिया एवं रिकार्ड में कालू लाल नाम दर्ज है। जिस को वादी अपने खाते में सही नाम दर्ज करवाना चाहते है। वादी को रिकार्ड में नाम गलत होने के कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का रिकार्ड में मिलान नही होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है। वादी की के.सी.सी. भी नहीं बन पा रही एवं अन्य फायदे भी नही मील पा रहे है।

बिना सहायता न्यायालय वादी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण दर्ज नही करा सकेगा जिससे प्रार्थी को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पडेगा ऋण आदि प्राप्त नहीं कर सकेगा। जिससे आर्थिक रूप से पिछड जायेगा। इस कारण वादी इस आशय की घोषणा करा पाने के अधिकारी है कि उनके पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण राजस्व रिकार्ड में नारायण उर्फ रामनारायण दर्ज किये जाने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने एवं वाद घोषणा नाम संशोधन का होने से श्री मान तहसीलदार साहब अटरू का प्रतिवादी बनाया जाकर यह वाद पेश किया गया है। वादी कारण प्रथम बार राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम नारायण दर्ज होने एवं वादी द्वारा प्रतिवादी से नारायण के स्थान पर रामनारायण दर्ज करने का एवं कालू के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा दिनांक 15.11.2020 को साफ मना करने पर अन्तिम बार माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त रिकार्ड एवं पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। वादी अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमाई जावे–

(अ) राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण एवं कालू के स्थान पर दिनेश कुमार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में नारायण के स्थान पर रामनारायण एवं कालू के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज किया जावे विकल्प में निवेदन है कि नारायण उर्फ रामनारायण किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw1 से pw3 के शपथ पत्र पेश किये गये व रिकार्ड प्रदर्शित करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की

एकतरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण एवं कालू के स्थान पर दिनेश कुमार दर्ज किये जाने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 ग्राम मेरमाचाह तह0 अटरू में खाता संख्या 13 की ख0नं0 57 की 1.91 है0 आराजी में वादी क्रम 1 के पिता का नाम नारायण दर्ज है तथा वादी क्रम 2 का नाम कालूलाल पुत्र रामकल्याण सहखातेदार के रूप में दर्ज है। अन्य दस्तावेजात राजस्थान परिवहन विभाग के पहचान पत्र में वादी क्रम 1 का नाम मदनलाल शर्मा पुत्र राम नारायण अंकित है। ड्राइविंग लाइसेंस में वादी क्रम 1 का नाम मदनलाल शर्मा पुत्र राम नारायण शर्मा अंकित है। मतदाता पहचान पत्र में वादी क्रम 1 का नाम मदनलाल पुत्र रामनारायण अंकित है। आधार कार्ड में वादी क्रम 1 का नाम मदन लाल शर्मा पुत्र रामनारायण अंकित है। आधार कार्ड में वादी क्रम 2 का नाम दिनेश कुमार शर्मा पुत्र रामकल्याण अंकित है। ड्राइविंग लाइसेंस में वादी क्रम 2 का नाम दिनेश कुमार शर्मा पुत्र रामकल्याण शर्मा अंकित है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–:क्रियात्मक आदेश:–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह तह0 अटरू में खाता संख्या 13 की ख0नं0 57 की 1.91 है0 में वादी क्रम 1 के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण उर्फ नारायण तथा वादी क्रम 2 का नाम कालूलाल के स्थान पर दिनेश कुमार उर्फ कालूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 15/2021

उनवान

1. मदन लाल उम्र 71 वर्ष पुत्र श्री राम नारायण जाति ब्राह्मण निवासी मेरमाचाह हाल बम्बूलिया कला तह0 अन्ता।
2. दिनेश कुमार पुत्र रामकल्याण जाति ब्राह्मण निवासी मेरमाचाह हाल गायत्रीनगर अटरू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी :– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मेरमाचाह तह0 अटरू में खाता संख्या 13 की ख0नं0 57 की 1.91 है0 में वादी क्रम 1 के पिता का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण उर्फ नारायण तथा वादी क्रम 2 का नाम कालूलाल के स्थान पर दिनेश कुमार उर्फ कालूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 12.10.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)